

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

पत्रांक-01/निगम (विविध)-09-20/2025

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के कामगारों/यात्रियों को महत्वपूर्ण पर्वों में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/यात्रियों को विशेष अवधि यथा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद एवं होली में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-47 के बजट शीर्ष 47-3055001900102, इकाई "33-01" सब्सिडी के अंतर्गत उक्त राशि का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त कर किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को उनके खाता संख्या में CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा-शाखा (दो प्रतियों में), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

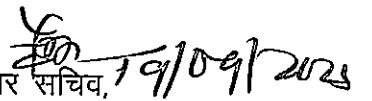
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 404

पटना, दिनांक- 19/09/25

प्रतिलिपि- आईटी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-01/निगम (विविध)-09-20/2025 ५७५

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19/09/25

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के कामगारों/यात्रियों को महत्वपूर्ण पर्वों में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/यात्रियों को विशेष अवधि यथा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद एवं होली में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-47 के बजट शीर्ष 47-3055001900102, इकाई "33-01" सब्सिडी के अंतर्गत उक्त राशि का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त कर किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को उनके खाता संख्या में CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अवर सचिव, 19/09/2025

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-01/निगम (विविध)-09-20/2025

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के कामगारों/यात्रियों को महत्वपूर्ण पर्वों में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/यात्रियों को विशेष अवधि यथा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद एवं होली में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-47 के बजट शीर्ष 47-3055001900102, इकाई "33-01" सब्सिडी के अंतर्गत उक्त राशि का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त कर किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को उनके खाता संख्या में CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19/09/25

ज्ञापांक- 404

प्रतिलिपि- प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा-शाखा (दो प्रतियों में), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/25

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-01/निगम (विविध)-09-20/2025

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के कामगारों/यात्रियों को महत्वपूर्ण पर्वों में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से बिहार के कामगारों/यात्रियों को विशेष अवधि यथा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद एवं होली में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिचालित होने वाले विशेष श्रेणी के बसों के निर्धारित भाड़ें में यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करने हेतु राशि 24,06,36,000/- (चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-47 के बजट शीर्ष 47-3055001900102, इकाई "33-01" सब्सिडी के अंतर्गत उक्त राशि का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त कर किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को उनके खाता संख्या में CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

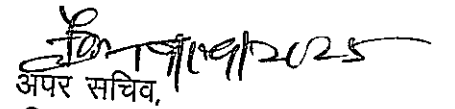
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19/09/25

ज्ञापांक- 404

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।